"क" केन्द्रीय सेवाओं का संवर्ग पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्ष के बाद करने का प्रावधान है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) इस संबंध में मुख्य कठिनाईयां हैं :—

(1) अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न भारतीय सांख्यिकीय सेवा में संवर्ग पद किसी एक अकेले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

(2) वर्ष 1986 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सेवा के ग्रेड चार में संस्वीकृत कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भर्ती तथा

(3) लम्बित न्यायालय मामले तथा रोक आदेश जिनका संवर्ग संरचना पर प्रभाव है ।

समस्याएं ऐसी हैं कि संवर्ग पुनर्विलोकन तत्काल आरम्भ करना कठिन है । तथापि, सरकार भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार से ग्रेड तीन पदों के ग्रेड बढ़ाने संबंधी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रोक संबंधी आदेश के खाली हो जाने पर इसके पश्चात् 9 महीनों के अन्दर पुनर्विलोकन करने का यत्न करेगी । इस बीच, सरकार ने नए पदों को संवर्ग में शामिल करने तथा पदों की कोटि बढ़ाने जैसे हाल के उपायों द्वारा सेवा की प्रत्याशाओं में सुधार के लिए कार्रवाई की है ।

पब्लिक स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण

37. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के संचालन पर कोई नियंत्रण है; यदि हां, तो कितना ; और

(ख) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक एक या दो वर्ष के उपरान्त सरकार से अनुमति लेते हैं ; यदि हां, तो सरकार किस आधार पर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विवरण संलग्न है (नीचे दिया गया है)

(ख) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करते हैं, यदि इसे शैक्षिक सत्र के दौरान बढ़ाना जरूरी हो। तथापि, प्रबन्धक शैक्षिक सत्र के आरम्भ में इस प्रकार की फ़ीस बढ़ाने के लिए स्वयं सक्षम हैं । साधारणतया इस प्रकार की फ़ीस का कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए वित्तीय अपेक्षाओं के आधार पर बढ़ाया जाना अथवा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अन्य ग्राह्य खर्चे के लिए अनुमत्य होगा ।

विवरण

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में स्कूली शिक्षा, अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है । गैर-सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के अधिकार निम्नलिखित हैं :—

(क) खण्ड 3(2) के अन्तर्गत, प्रशासक किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण को किसी भी स्कूल की स्थापना या रख-रखाव के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि अधिनियम तथा नियमों का पालन किया जाये।

(ख) खण्ड 4 के अन्तर्गत उचित प्राधिकरण किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है । मान्यता प्रदान